मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–800014
ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in
दूरभाष–0612–2215035

संचिका सं0:–ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)–कोर्ट केस–76/2022 45 /पटना, दिनांकः– 13/10/2025

कार्यालय आदेश

संवेदक श्री नन्द किशोर, पिता– नागेन्द्र शर्मा, पता– C/26, बिरला कॉलोनी, फुलवारी शरीफ, अनिसाबाद, पटना के विरूद्ध जाली कागजात (Work Completion Certificate) जमा कर निविदा प्राप्त करने एवं कराये गये कार्य में अनियमितता करने संबंधी श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा दिये गये परिवाद की जॉच मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा कराये जाने के क्रम में यह पाये जाने पर कि संवेदक श्री नन्द किशोर द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अंतर्गत अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–05/2019–20 के ग्रुप संख्या–223 अन्तर्गत सकरैचा आहर पईन योजना, अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–06/2019–20 के ग्रुप संख्या–217 अन्तर्गत सिंगरियावॉ पईन का जीर्णोद्धार कार्य एवं ग्रप संख्या–228 अन्तर्गत कोरावॉ आहर पईन योजना की निविदा में संलग्न किये गये चार अनुभव प्रमाण पत्रों में तीन अनुभव प्रमाण पत्र यथा 1. Repair and five year maintainace of road from old N.H-30 Adilpur to Bhuski under 3054 (MR). 2. Construction of APHC Building with Boundary and campus development at khirma under keoti Block in District-Darbhaga. 3. हथुआ शाखा नहर के वि0 163 से 183442 तक उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य संबंधी अनुभव प्रमाण पत्रों के फर्जी पाये जाने के कारण मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–499 दिनांक–15.02.2023 द्वारा संवेदक श्री नन्द किशोर को कालीकृत करने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11 (ख) में निहित प्रावधान के तहत अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–462 दिनांक–04.04.2024 द्वारा संवेदक श्री नन्द किशोर से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जबाव अप्राप्त रहने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक–446 दिनांक–16.05.2025 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया, जिसके क्रम में श्री नन्द किशोर द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण का जबाव दिनांक–09.06.2025 में यह कहा गया है कि उनका एक अनुभव प्रमाण पत्र, जो जॉच के क्रम में सही पाया गया है, ही निविदाओं में वांछित अनुभव हेतु पर्याप्त था, परन्तु संलग्न किये गये उक्त तीनों फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया, जिसके कारण संलग्न किये गये फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–566 दिनांक–30.06.2025 द्वारा संवेदक को पुनः निदेशित किया गया, जिसके क्रम में इस कार्यालय को प्राप्त संवेदक का जबाव दिनांक–14.07.2025 में कहा गया है कि उनके द्वारा कोई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है एवं परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रतिशोध वश परिवाद दिया गया है, परन्तु यह तथ्य है कि परिवाद के आलोक में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा करायी गयी जॉच के क्रम में संवेदक श्री नन्द किशोर द्वारा उक्त योजनाओं की निविदा में संलग्न किये गये चार अनुभव प्रमाण पत्रों में से उक्त तीन अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये है। स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा रखे गये पक्ष को मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि निविदा में संलग्न एक अनुभव प्रमाण–पत्र पर्याप्त होने की स्थिति में भी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपराधिक कृत्य के साथ–साथ अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–05/2019–20 एवं 06/2019–20 की कंडीका–26 में निहित शर्त का उल्लंघन भी है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किये गये CWJC No– 2997/2024 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–06.05.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्री जितेन्द्र कुमार से प्राप्त आवेदन को संलग्न कर जॉचोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई हेतु निदेश विभागीय

S.M.

पत्रांक–4614 दिनांक– 19.09.2024 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश निम्नवत है:–

"After some arguments the learned counsel for the petitioner Seeks liberty on behalf of the petitioner to approach the respondent authorities for redressal of his aforesaid grievances leberty so sought is granted."

उक्त न्यायादेश के आलोक में वादी श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा दिये गये आवेदन में भी परिवाद में उल्लेखित बिन्दुओं को ही उठाते हुये संवेदक श्री नन्द किशोर के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की गयी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्णित योजनाओं की निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने के कारण संवेदक श्री नन्द किशोर को कालीकृत करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (क) की उप कंडिका (vii) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 की कंडिका 08 के उप कंडिका 04 के तहत अगले 10 वर्षो के लिये कालीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक– /पटना दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री नन्द किशोर , मकान न0–सी0–26, बिरला कॉलनी, फुलवारीशरीफ, पो0+थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना, पिन कोड–801505, ईमेल– nandkishor7091888639 @gmail.com, Mobile No-7091888639 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक– 1028 /पटना, दिनांक– 13/10/2025

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, .../सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, .../सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, ...एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

13/10/2025

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना